लक्ष्य 4 समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन शिक्षा प्राप्ति के लिए बढ़ावा देना

2030 तक	
4.1	यह सुनिश्चत करना कि सभी लड़कियों और लड़कों के लिए निशुल्क, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्ति के सुसंगत और कारगर परिणाम प्राप्त हों।
4.2	यह सुनिश्चत करना कि सभी लड़कियों और लड़कों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यकाल, विकास, देखरेख, और प्राथमिक पूर्व शिक्षा सुलभ हो ताकि वे प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार हो जाएं।
4.3	सभी महिलाओं एवं पुरूषों के लिए विश्वविद्यालय सहित किफायती और गुणवत्तापूर्ण तकनीकी, व्यावसायिक और तृतीयक शिक्षा की समान रूप से सुलभता सुनिश्चित करना।
4.4	रोजगार, उचित कार्यों एवं उद्यमिता हेतु तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशलों साहित सुसंगत कौशल से संपन्न युवाओं और व्यस्कों की संख्या में वृद्धि करना।
4.5	शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को समाप्त करना तथा निशक्त व्यक्तियों, देशी लोगों और असुरक्षित परिस्थितियों में रह रहे बच्चों साहित कमजोर लोगों की शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण स्तर के सभी स्तरों तक समान रूप से पहुंच सुनिश्चित करना।
4.6	यह सुनिश्चित करना कि सभी युवाओं तथा पुरूषों और महिलाओं सहित अधिकतर व्यस्कों द्वारा साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल कर लिया जाए।
4.7	यह सुनिश्चित करना कि सभी शिक्षार्थियों द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ संधारणीय विकास और संधारणीय जीवन शैली मानव अधिकार, लैंगिक समानता, शांति और अहिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहन, वैश्विक नागरिकता तथा सांस्कृतिक विविधता, और संधारणीय विकास में संस्कृति के योगदान की कदर करने के संबंध में शिक्षा के माध्यम से संधारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए, आवश्यक ज्ञान और कौशल अर्जित कर लिया जाए।
4.क	ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण और स्तरोंन्नयन करना जो बच्चों, निशक्तता और स्त्री–पुरुष के प्रति संवेदनशील हों और सभी के लिए शिक्षा प्राप्ति के सुरक्षित, अहिंसात्मक, समावेशी और कारगर परिवेश उपलब्ध कराती हों।
4.ख	विकसित देशों ओर विकासशील देशों में व्यावसायिक प्रशिक्षण और सूचना एवं संचार प्रौद्यिकी, तकनीकी, इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक कार्यक्रमों सहित उच्चतर शिक्षा में नामांकन के लिए विकासशील देशों में, विशेष कर अल्प विकसित देशों, लघु द्वीप विकासशील राज्यों में अफ्रीकी देशों के लिए उपलब्ध छात्रवृतियों की संख्या में वैश्विक स्तर पर वृद्धि करना।
4.ग	विकासशील देशों, विशेष कर अल्प विकसित देशों और लघु द्वीप राज्यों, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अर्हता प्राप्त शिक्षकों की आपूर्ति वृद्धि करना।

राष्ट्रीय योजनाएं एवं गनीतियां

नोडल मंत्रालय. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं (CSS)	संबंधित हस्तक्षेप	लक्ष्य	अन्य संबंधित मंत्रलय एवं विभाग
1. सर्व शिक्षा अभियान (Core) 2. प्राईमरी शिक्षा में पोषण सहायता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (MDM) (Core) 3. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) (Core) 4. शैक्षिक विकास, टीचर ट्रेनिंग एवं व्यस्क शिक्षा में सहायता (Core) 5. मदरसों, अल्पसख्यकों, विक्लांगों के लिए शिक्षा की योजनाएं (Core of the Core) 6. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) (Core) 7. अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छतरी योजना (Core of the Core)	पढ़े भारत बढ़े भारत	लक्ष्य 4.1	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता, जनजातीय मामले
		लक्ष्य 4.2	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता, जनजातीय मामले
		लक्ष्य 4.3	कौशल विकास एवं उद्यमिता, उच्च शिक्षा, जनजातीय मामले
		लक्ष्य 4.4	कौशल विकास एवं उद्यमिता, उच्च शिक्षा, जनजातीय मामले
		लक्ष्य 4.5	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता कौशल विकास एवं उद्यमिता, उच्च शिक्षा, जनजातीय मामले
		लक्ष्य 4.6	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता
		लक्ष्य 4.7	कौशल विकास एवं उद्यमिताए संस्कृति
		लक्ष्य 4.क	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरताए महिला एवं बाल विकास विभाग, उच्च शिक्षा
		लक्ष्य 4.ख	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता, उच्च शिक्षा, अतिरिक्त मामले, जनजातीय मामले
		लक्ष्य 4.ग	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरताए उच्च शिक्षा, अतिरिक्त मामले

Source: - http://niti.gov.in/writereaddata/files/SDGsV20-Mappingo80616-DG_o.pdf

खामियां और चुनौतियां

स्कूल बच्चों की पहुंच में हो इस पर विशेष ध्यान देने के बावजूद सिर्फ 10 प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं जिनमें बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर है यानी बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे पर्याप्त कक्षाएं, पीने का पानी, शौचालय , सरकार द्वारा निर्धारित किया गया शिक्षक : छात्र अनुपात।(आरटीई फोरम 2015–16) निगरानी व्यवस्था का अभाव है। शिक्षकों का अनुपस्थित रहना, टीचरों का गैर–स्कूल या गैर शिक्षा गतिविधियों में लगे रहना भी है। बहुत से प्रयत्नों के बाद वर्ष 2014 में भारत सरकार ने अनुमान लगाया है कि प्रारंभिक रूप से 60 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि प्राथमिक शिक्षा से बाहर हैं जिन्हें पहली से आठवीं कक्षा में होना चाहिए। स्कूल से बाहर के बच्चों का आंकड़ा समस्यामूलक है। क्योंकि स्कूल के बाहर के बच्चों की परिभाषा में समरूपता नहीं है और उनका अनुमान बहुत ही अलग–अलग तरीकों से लगाया गया है।

वर्ष 2010–11 में प्राईमरी शिक्षा का 6–10 वर्ष के बच्चों का पतिशत प्रशसनीय है। यह है 99.89 (भारत सरकार, 2014)। फिर भी प्रतिधारण दर कम है। वर्ष 2009–10 में पहली से पांचवीं तक में नाम लिखवाने वाले बच्चों का प्रतिशत 83.2 था जो वर्ष 2013 में आठवीं कक्षा में 76.8 प्रतिशत रह गया।;म्कब्स्ए 2013द्धण्बाद में छात्रों का दूसरा स्तर आता है उसमें स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर 71 प्रतिशत दसवीं कक्षा तक हो जाती है। परिणाम यह होता है कि स्कूल छोड़ने वालों को पतिशत 137 हो जाता है जबकि 29 प्रतिशत बच्चे ओवर एज के होते हैं।(भारत सरकार, 2014)इस तरह कुल मिलाकर गुणवत्ता के स्तर पर एवं अवधारणा के स्तर पर स्कूल शिक्षा प्रणाली बेहतर परिणाम नहीं दे रही है।

पिछले चालीस साल से आंगनवाड़ी के अस्तित्व में रहने के बावजूद बच्चों के बारे में विश्वसनीय आंकड़े नहीं हैं। 0–6 वर्ष के 158.7 मिलियन बच्चों में से 75.7 मिलियन बच्चे यानी 48 प्रतिशत आंगनवाड़ी द्वारा कवर किए गए हैं।(एमडब्ल्यूसीडी 2011)। ऐसे बच्चों की एक बड़ी संख्या निजी क्षेत्रों एवं एनजीओ ने भी कवर की है। सेवाओं की गुणवत्ता भी विषम है।;म्ब्म्ए 2012द्धनई ईसीसीई नीतियां मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए कोशिश कर रही है। और एक राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क बना रही है। जिससे कि शिक्षा की शुरूआत बाल अनुकूल वातावरण में हो। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए आंगनवाड़ी के पास वर्ष 2015–16 के लिए 28454 करोड़ का बजट था।;डॅब्ए 2013द्ध वर्ष 2015–16 के बजट में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 55 प्रतिशत कट कर दिए थे। इससे आईसीडीएस के निवेश में कमी आ गई। आईसीडीएस ने एमडब्यूसीडी बजट के 87.39 प्रतिशत दिए। (सेंटर फॉर चाईल्ड राईट, 2016)

15–24 वर्ष के युवाओं की साक्षरता महत्वपूर्ण संकेतक है। वर्ष 2007–08 में राष्ट्रीय सैंपल सर्वे में शिक्षा का व्यय से जानकारी मिलती है कि युवाओं की कुल साक्षरता दर 86 प्रतिशत है। इसमें 80प्रतिशत लड़कियां एवं 93 प्रतिशत लड़के हैं।;छैैए 2008द्धग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 83 प्रतिशत है और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर कम है।

4 समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन शिक्षा प्राप्ति के लिए बढ़ावा देना

सुझाओ

1. जीडीपी का 10 प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विभिन्न स्तरों पर अन्य प्रावधानों के लिए शिक्षा पर सरकारी खर्च बढ़ाया जाना चाहिए।
2. एक समान स्कूल प्रणाली जिसका जो पूरी तरह से सरकारी फंड से चलती हो वह सबके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को कार्यान्वित करे। यह बहुत जरूरी है क्योंकि बहिष्कृत वर्ग जैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को अपने बच्चों को प्राईवेट स्कूल में साधनहीन होने के कारण नहीं भेज पाता और सरकारी स्कूल व्यवस्था दयनीय है।
3. आंगनबाड़ी के कार्यक्रम में सुधार की जरूरत है। अच्छी शिक्षा, अच्छी पाठ्य पुस्तक सामग्री, पूरक पोषण एवं प्रति–रक्षण सेवाएं प्रदान की जाएं।
4. शिक्षा को सार्वजनिक संपत्ति सुनिश्चित करने के लिए गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण के लिए तथा निजी क्षेत्र में सभी स्तरों पर नियमित रूप से निगरानी रखने के लिए राज्य को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।
5. सरकार एवं निजी संस्थानों के बीच सहयोगी तंत्र हो इनका विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों का समिलन हो ताकि उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जा सके।
6. सही अर्थों में शिक्षा प्राप्ति और हाशिए के वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा तभी प्रदान की जा सकती है जब शिक्षा में सभी प्रकार के भेदभाव एवं सभी स्तरों पर समाप्त किए जाएं और समतामूलक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए।
7. बच्चों की सुरक्षा के लिए, बाल सुधार गृहों में सुधार समेकित बाल रक्षा योजनाओं के लिए और अधिक संसाधन प्रदान किए जाएं।
8. ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक विकल्पों के लिए सतत कृषि का प्रशिक्षण जरूरी है।
9. एक समुचित व्यवसाय प्रशिक्षण प्रणाली होनी चाहिए जिसका बड़े अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्र से जुड़ाव हो जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले।